राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः एफ 16–1(ब)न्याय/2020/26934

दिनांकः– 19 मई, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा शहर में नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्तियों के चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 22912 दिनांक 09 मई 2020 से **भीलवाड़ा शहर में जनसाधारण का आवागमन एवं अनुमत गतिविधियों के संचालन हेतु प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक** निम्नानुसार आंशिक **छूट/शिथिलता** प्रदान की गई हैं :–

क्र.सं.	थाना क्षेत्र	दिनांक एवं वार	
		जनसाधारण का आवागमन	अनुमत गतिविधियां का संचालन
1	सुभाष नगर सम्पूर्ण थाना क्षेत्र	11 मई 2020, सोमवार एवं 15 मई 2020, शुक्रवार	11 मई 2020 से अग्रिम आदेश तक
2	प्रताप नगर, एवं पुर एवं सदर सम्पूर्ण थाना क्षेत्र	12 मई 2020, मंगलवार एवं 18 मई 2020, सोमवार	
3	सिटी कोतवाली सम्पूर्ण एवं भीमगंज आंशिक थाना क्षेत्र	13 मई 2020, बुधवार	
4	सिटी कोतवाली एवं भीमगंज सम्पूर्ण थाना क्षेत्र	14 मई 2020, गुरूवार एवं 19 मई 2020, मंगलवार	

उक्त आदेश की निरन्तरता में भीलवाडा शहर में प्रदत्त छूट में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाते हैं :–

1. आदेश में वर्णित अनुसार **प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को** अनुमत श्रेणी के खुदरा एवं थोक व्यापारियों को विभिन्न साधनों से ट्रांसपोर्टेशन हेतु छूट दी गई थी, इस क्रम में आंशिक संशोधन कर सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था प्रत्येक शनिवार को यथावत रहेगी किन्तु रविवार को सभी व्यापारियों के लिये सार्वजनिक रूप से अवकाश रहेगा, इसके अतिरिक्त अनुमत श्रेणी के खुदरा एवं थोक व्यापारियों द्वारा प्रतिदिन दोपहर 3.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक विभिन्न साधनों से माल/सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकेगा।
2. इसी क्रम में शहर के ट्रांसपोर्ट मार्केट में व्यवसायियों द्वारा बाहर से आने वाले माल/सामग्री की प्रतिदिन प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तक लोडिंग/अनलोडिंग 33 प्रतिशत कार्मिक क्षमता के साथ की जा सकेगी।
3. छूट प्रदत्त क्षेत्रों, मुख्य बाजार क्षेत्र एवं ट्रांसपोर्ट मार्केट में व्यापारियों/व्यवसायियों द्वारा निर्धारित दूरी (न्यूनतम 6 फीट) पर पेन्ट से गोले बनायें जावेंगें एवं किसी भी संचालक द्वारा Wearing of Mask & Social Distancing की पालना नहीं किये जाने एवं करवाये जाने पर प्रतिष्ठान को तत्काल बन्द करवाया जा सकेगा।

.... 2

4. नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा छूट प्रदत्त क्षेत्र के साथ–साथ ट्रांसपोर्ट मार्केट एवं मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन सोडियम हाईपाक्लोराईड का स्प्रे करवाया जाकर क्षेत्र को पूर्णतः सेनेटाईज करवाया जायेगा।
5. शहर में निवासियों के आवागमन के साथ–साथ ट्रांसपोर्ट मार्केट में आने वाले एवं जाने वाले वाहनों के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग ही अनुमत होगें। इस हेतु पुलिस विभाग द्वारा जनसाधारण कीजानकारी हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।
6. उक्तानुसार क्षेत्रों में छूट प्रदत्त क्षेत्र के साथ–साथ ट्रांसपोर्ट मार्केट एवं मुख्य बाजार क्षेत्र में नागरिकों/व्यापारियों/कार्मिकों को आवागमन एवं अन्य समस्त गतिविधियों के दौरान Wearing of Mask, Social Distancing की अक्षरसः पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957, National Disaster Manegment Act 2005** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश दिनांक 11.05.2020 से अग्रिम आदेश तक **भीलवाड़ा शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में** प्रभावी रहेगा।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
02. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
04. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा
05. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
06. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
07. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
08. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि लाउड स्पीकर के माध्यम से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार एवं लोगो को एकत्र नही होने हेतु सचित करावें।
09. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा